भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4183
(दिनांक 13.12.2019 को उत्तर देने के लिए)

चैनलों पर विज्ञापन

4183. श्री वाई. देवेन्द्रप्पाः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सभी चैनल समाचार और अन्य महत्वपूर्ण विषयों के कार्यक्रमों की अपेक्षा अधिक विज्ञापन दिखा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उपभोक्ता समाचार आदि देखने के लिए चैनलों को भुगतान करते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उन चैनलों को सरकार के नियमों के अनुसार विज्ञापन दिखाने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो ये दिशा-निर्देश कब तक जारी किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (घ): निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों का केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित विज्ञापन संहिता तथा बनाए गए नियमों के अनुरूप होना अपेक्षित है। अधिनियम के नियम 7(11) में यह प्रावधान है कि "किसी भी कार्यक्रम में प्रति घंटा 12 मिनट से अधिक के विज्ञापन नहीं दिखाए जाएंगे जिसमें प्रति घंटा 10 मिनट तक के वाणिज्यिक विज्ञापन, और प्रति घंटा 2 मिनट तक के चैनल के स्व-संवर्धन कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं।

इसके अलावा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 22.03.2013 को 'सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापनों की अवधि) (संशोधन) विनियम, 2013' नामक विनियम भी अधिसूचित किया है। उक्त विनियम के नियम 3 में अन्य के साथ-साथ यह उल्लेख है कि "कोई भी प्रसारक किसी कार्यक्रम के अपने प्रसारण में प्रति घंटा 12 मिनट से अधिक के विज्ञापन नहीं चलाएगा।

उक्त विनियम टीआरएआई की वेबसाइट **www.trai.gov.in** पर उपलब्ध है। ये प्रसारक उक्त विनियमों के विरुद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में गए हैं और फिलहाल यह मामला न्यायाधीन है।

*****